

दिनांक

आज्ञा पत्र

16-9-25

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त एवं अपीलान्त स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय लायकाल ६-७जे तक बार बार दिलाई गई। इतजार किया गया उसके बावजूद अपीलान्त एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपीलान्त अदालत हाजरी एवं अदालत पैरवी में शामिल की जाती है। निर्णय तब इजलास सुनाया गया। प्रकरण केसल शुमार लेकर नम्बर से कम होकर बाद तत्पश्चात् तकमील दाखिल दफतर हो।

मू-प्रवन्त अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर